

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद गोणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशाल संख्या:- 63/2023

निर्णय दिनांक :-28.11.2023

उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. उमेश पुत्र भागचन्द जाति बलाई उम्र बालिग निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. तारा पुत्री भागचन्द जाति बलाई उम्र बालिग निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. पांची पत्नी भागचन्द जाति बलाई उम्र बालिग निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. लाभचन्द पुत्र रामदयाल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0

—प्रार्थीगण—

बनाम

तहसीलदार महोदय देवली जिला टोंक (राज.)

—अप्रार्थी—

उपस्थिति:-

श्री धर्मराज गुर्जर
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम करवाये जाने पत्थरगढी बाबत

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के कब्जेकाशत की संयुक्त खातेदारी की भूमि खाता संख्या 58 खसरा नम्बर 1043 रकबा 0.86 है0, खसरा नम्बर 1049 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 529 रकबा 0.61 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.70 है0 व खाता संख्या 763 खसरा नम्बर 1685 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 1896 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 1897 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 4820 रकबा 0.81 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.26 है0 भूमि, वांके ग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि के सीमा चिन्ह मिट चुके हैं तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई हैं जिसके कारण मोके पर प्रार्थीगण एवं पड़ोसी खातेदारों के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने की संभावना है। उक्त भूमि बाबत कोई वाद



न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और किसी प्रकार को कोई स्थगन आदेश भी न्यायालय से जारी नहीं है। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।


तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:- हां, उक्त आराजी आवेदक की खातेदार दर्ज है व कब्जेकाशत है। हां, आवेदक पड़ोसी खातेदारों सीमा विवाद है। हां, जिन पक्षकारों से सीमा विवाद है उनको पक्षकार नहीं बनाया है। उक्त आराजी पर उक्त खातेदार का ही कब्जाकाशत है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय से स्थगन नहीं है। आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमण राजकीय भूमि नहीं है। पूर्व में सीमाज्ञान नहीं हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारों की उपस्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में अंकित खाता संख्या 58 खसरा नम्बर 1043 रकबा 0.86 है०, खसरा नम्बर 1049 रकबा 0.23 है०, खसरा नम्बर 529 रकबा 0.61 है०, कुल किता 3 कुल रकबा 1.70 है० व खाता संख्या 763 खसरा नम्बर 1685 रकबा 0.12 है०, खसरा नम्बर 1896 रकबा 0.13 है०, खसरा नम्बर 1897 रकबा 0.20 है०, खसरा नम्बर 4820 रकबा 0.81 है० कुल किता 4 कुल रकबा 1.26 है० भूमि, वाके ग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान की पत्थरगढी की जावे। प्रार्थीगण का कब्जा नहीं होने की स्थिति में आराजीयात का सीमाज्ञान कर प्रार्थी/प्रार्थीगण को उक्त विवादित आराजी भूमि की सीमाओं से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
देवली